POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2021-23 (RNI.REG.NO 39658/1983) # ग्रा.ग./2021/अंक 01

मासिक प्रेषण दि. 8 जनवरी, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

प्रकाशन की तिथि : 01 जनवरी, 2021 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! नया साल राहत और उम्मीद भरा होगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबरें आ रही हैं। जल्द ही कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए टीकाकरण की शुरुआत होने वाली है।

सरकार के संकल्प 'जान भी और जहान भी' को ध्यान में रखते हुए हाल ही स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हैदराबाद, अहमदाबाद और पूना की अलग-अलग प्रयोग शालाओं में तैयार की जा रही वैक्सीन का जायजा लिया गया। प्रधानमंत्री का मानना है कि टीकाकरण मात्र कोरोना का पूर्ण इलाज नहीं है। टीकाकरण के बाद भी मास्क लगाना, निर्धारित दूरी का पालन करना और हाथों को साफ रखना जैसी सावधानियां ही 'ब्रह्मास्त्र' हैं। देश की 130 करोड़ जनता तक वैक्सीन कैसे पहुंचेगी, इसकी निगरानी भी मोदी खुद कर रहे हैं।

केंद्र सरकार टीकाकरण के लिए जरूरत के हिसाब से प्राथमिकता तय करने में लगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन पहले ही कह चुके हैं कि सरकार के लिए गांवों और दूरदराज के इलाकों में वैक्सीन पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को टीकाकरण की तैयारी में जुटने के निर्देश दे दिए हैं।

'ग्राम गदर' परिवार की ओर से सभी पाठकों और ग्रामीण भाई-बहिनों को नव वर्ष की हार्दिक शुभ कामनाएं।

प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार इसके लिए आवश्यक सभी तैयारियां पूरी की गई है। टीकाकरण का पहला चरण वर्ष 2021 के प्रारंभ में शुरू होगा।

उधर, केंद्र एवं राज्य में वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। कोरोना से उपजे संकट के मद्देनजर बजट में इस बार स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा, कृषि, श्रम और नवीन प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देना होगा।

फ्लैट का कब्जा देने में देरी : कंज्यूमर कोर्ट दिलाएगा मुआवजा

फ्लैट खरीददारों को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब फ्लैट का कब्जा (पजेशन) देने में देरी होने पर वे कंज्यूमर कोर्ट में भी मामला दर्ज कर सकते हैं और मुआवजा हासिल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपभोक्ता अदालतों को इस मामले में आदेश देने का अधिकार है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी उपभोक्ता अदालत किसी फ्लैट का कब्जा देने में देरी होने पर बिल्डर को मुआवजे का आदेश देने का हक रखती है। कोर्ट ने कहा कि यदि तय समय पर कोई बिल्डर अपना प्रोजेक्ट नहीं पूरा कर पाता और फ्लैट का कब्जा समय से नहीं दे पाता तो उपभोक्ता द्वारा कंज्यूमर कोर्ट में मुकदमा दायर किया जा सकता है और कंज्यूमर कोर्ट के पास इस मामले में आदेश देने और मुआवजा दिलाने का पूरा अधिकार है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने पिछले दिनों यह आदेश दिया था कि यदि कब्जा देने में देरी की वजह से किसी ग्राहक ने पूरी राशि वापस मांग ली हो, तो बिल्डर को यह कहने का अधिकार नहीं है कि ग्राहक का एग्रीमेंट कैंसिल हो गया है और इस वजह से वह फ्लैट नहीं दे सकता।

बैंक कैश निकासी धोखाधड़ी पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का फैसला

हरियाणा के गुरुग्राम निवासी कैप्टन आंनद स्वरूप भारद्वाज ने दिल्ली में स्टैंडर्ड चार्टर बैंक के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में मामला दर्ज कराया था। उनके बैंक खाते से 2008 में 4 लाख 40 हजार रुपए किसी व्यक्ति ने धोखाधड़ी कर निकाल लिए थे। उन्होंने बैंक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि बैंक द्वारा उनके खाते से रुपए निकलने पर मैसेज ही नहीं भेजे गए। जिससे उन्हें पता नहीं लग सका कि उनके खाते से चोरी से पैसे निकाले जा रहे हैं। उपभोक्ता फोरम और उसके बाद राज्य उपभोक्ता फोरम ने भी सुनवाई के बाद उनकी याचिकाएं खारिज कर दी।

मामले को वह राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग तक ले गए। राष्ट्रीय आयोग ने भी उन्हें कोई राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने अपना एनरोलमेंट मोबाइल बैंकिंग सेवा में नहीं कराया था, जिसकी वजह से बैंक द्वारा निकासी की सूचना नहीं दी गई। इसमें बैंक का कोई दोष नहीं है। मामले पर आयोग ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि मोबाइल बैंकिंग सेवा में एनरोल होना और बैंक एटीएम कार्ड व पिन की सुरक्षा करना ग्राहक की जिम्मेदारी है। इनके माध्यम से हुई अवैध निकासी के लिए बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

किसानों की आय दोगुनी करने का तरीका है जैविक खेती

देश में अब गुणवत्ता आधारित फसलों की मांग बढ़ रही है। जैविक खेती इसका एकमात्र विकल्प है। जैविक खेती किसानों की आय दोगुनी करने का सबसे अच्छा तरीका है। किसान रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों पर निर्भरता कम करें। क्योंकि, इनके उपयोग से कृषि भूमि की उर्वरता खत्म हो रही है। 'कट्स' द्वारा स्वीडिश सोसायटी फॉर नेचर कंजर्वेशन के सहयोग से एवं रामकृष्ण शिक्षण संस्था के तत्वावधान में कोटा जिले के भदाना गांव में आयोजित लाड़पुरा ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला में यह सब उभरकर सामने आया।

कार्यशाला में कृषि विभाग के उप निदेशक शंकरलाल मीणा ने कहा कि रासायनिक खादों से कैंसर जैसी बीमारियां फैल रही है। किसानों को अपने खेत की मृदा की जांच करानी चाहिए। इससे पता लगेगा कि मिट्टी में किन तत्वों की कमी है। कृषि विशेषज्ञ दीन दयाल ने कहा कि पारंपरिक खेती से ही किसानों और समाज का भला हो सकेगा। कार्यक्रम का संचालन करते हुए पर्यावरणविद् बृजेश विजयवर्गीय ने बताया कि महामारी के बाद जैविक उत्पादनों की मांग बढ़ी है। हमें जैविक खाद की उपयोगिता को समझना होगा। इससे उन्नत उत्पाद तैयार होंगे, जो किसानों के लिए घाटे का सौदा कतई नहीं हो सकते। कृषि पर्यवेक्षक राकेश सुमन ने घरों में किचन गार्डन लगाकर जैविक उत्पादों की खेती करने के बारे मे बताया।

गरीबी रेखा कम करने के होंगे प्रयास

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) जोधपुर देश के गांवों में रहने वाले गरीबों की मूलभूत समस्याओं पर काम करेगा। आईआईटी के शिक्षक अपनी विभिन्न तकनीकी मदद से गांव में आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के साथ गांव में ही विकास का नया खाका खीचेंगे।

इस दौरान लोकतंत्र व विकेंद्रीयकरण को बढ़ाने और गरीबी रेखा को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार की नई तकनीक विकसित की जाएगी।

आईआईटी जोधपुर और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद स्थित देश के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज संस्थान ने हाल ही में एक एमओयू किया है। इसके अंतर्गत दोनों ही संस्थान आपस में मिलकर विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट बनाएंगे और उन पर कार्य करेंगे।

गौमूत्र बनेगा आमदनी का जरिया

पशुपालकों व गौशालाओं को अब दूध के अलावा गौमूत्र से भी अच्छी आमदनी हो सकेगी। गौमूत्र के उपयोग से न सिर्फ डीजल से होने वाले हानिकारक प्रदूषण को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा बल्कि वाहनों में डीजल की खपत को भी कम किया जा सकता है। यह मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमएनआईटी) जयपुर में प्रोफेसर दिलीप शर्मा और प्रोफेसर एसएल सोनी के निर्देशन में डॉ.अमित झालानी द्वारा किए गए शोधकार्य से सामने आया है।

तैयार किए गए गौमूत्र और डीजल इमल्शन से बने नवीन ईंधन को कृषि इंजन और डीजल जनरेटर में तो अभी उपयोग किया जा सकता है। अन्य वाहनों में इसका उपयोग कैसे किया जाए, इस पर शोध कार्य जारी है।

श्रमिकों की कमी से जूझ रहे उद्योग

कोरोना संक्रमण व लॉकडाउन की मार से उद्योग जगत अभी तक उभर नहीं पाया है। बड़े औद्योगिक क्षेत्र अब भी प्रशिक्षित श्रमिकों की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में अभी उद्यमी स्थानीय श्रमिकों को प्रशिक्षण देकर काम पर लगा रहे हैं। कई श्रमिकों ने अपने-अपने गांव में ही रोजगार ढूंढ लिया है।

जिन छोटे उद्योगों में श्रमिक काम पर लौट आए हैं, तो भी बाजार में मांग की कमी के चलते सुस्ती का आलम है। उद्योगियों की माने तो राज्य में उद्योगों को उबरने में अभी समय लगेगा। हालांकि उन्हें यह भी उम्मीद है कि कारोबार जल्दी ही पटरी पर लौटेगा।

शुरू हुई महंगे मसाले हींग की खेती

देश में पहली बार हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में किसानों ने हींग की खेती की शुरूआत की है। इससे वहां खेती के तरीकों में एक ऐतिहासिक बदलाव आया है। किसानों ने इस इलाके की बंजर पड़ी जमीन का सदुपयोग करने के उद्देश्य से हींग की खेती को अपनाया है। इससे किसानों को अच्छा लाभ हो सकेगा।

यह सीएसआइआर के इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी, पालमपुर के प्रयासों से संभव हो रहा है। हींग के बीज लाने के बाद कृषि तकनीक विकसित की गई और क्वारिंग गांव में एक किसान के खेत में हींग के पहले पौधे की रोपाई की गई। गौरतलब है कि भारत अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान से सालाना 740 करोड़ रुपए हींग के आयात पर खर्च करता है।

किसानों से सरकार खरीदेगी बायो गैस

धान की पराली, गन्ने की खोई, खराब भूसा, फसलों के अवशेष और गोबर की कीमत अब सरकार देगी। किसान इसे न तो जलाएं और न ही कचरे के रूप में इसे फेंके। केंद्र सरकार इससे बायो गैस बनाएगी। किसानों को बदले में इसकी कीमत भी देगी।

कम से कम 46 रुपए किलो के हिसाब से किसान बायो गैस को बेच सकेंगे। गैस की बिक्री के लिए किसानों को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सौ प्रतिशत बायो गैस खरीद की गारंटी सरकार देगी। सार्वजनिक क्षेत्र की ईंधन विपणन कंपनियां पूरी की पूरी बायो गैस खरीद लेगी। गांवों में पांच हजार कम्प्रेस्ड बायो गैस प्लांट खोले जाएंगे।

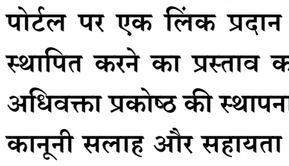

बढ़ा जैविक खेती के प्रति रुझान

कोरोना काल में राहत की खबर है कि किसानों का जैविक खेती के प्रति रुझान बढ़ा है। अब खेतों में तैयार हाने वाले जैविक उत्पादों की खरीद-फरोख्त भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हो सकेगी।

इसके लिए प्रदेश में जैविक खेती करने वाले किसानों को राजस्थान राज्य जैविक उत्पाद व प्रमाणी करण संस्था की ओर से जैविक प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। जिससे किसान अपने उत्पाद की दर, उपलब्ध मात्रा और उत्पाद तैयार करने की ऑनलाइन एंट्री कर सकेंगे। प्रदेश में कई किसान गुणवत्ता से भरे जैविक उत्पादों की खेती को विकल्प बना रहे हैं। इससे किसान ज्यादा लाभान्वित हो सकेगा।

अमीर और अमीर, गरीबों की बढ़ी गरीबी

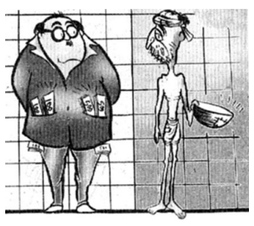

कोरोना संकट के बावजूद देश में टॉप 100 अमीरों की संपत्ति एक साल पहले की तुलना में 14 फीसदी बढ़ गई है। उनकी संपत्ति में करीब 39 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। प्रोग्रेसिव थिंकटैंक - द इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 643 अरबपतियों की संपत्ति तीन गुना बढ़ी है।

वहीं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल तक 15 करोड़ से ज्यादा आबादी और गरीब हो जाएगी। वहीं कोरोना महामारी के दौरान दुनियाभर में करीब 2.7 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। महामारी के चलते गरीबी के साथ बेरोजगारी भी तेजी से बढ़ रही है।

मोटा अनाज होता है अधिक फायदेमंद

जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के शोध में पारम्परिक मोटे अनाजों में गेहूं, धान और चावल से अधिक पौष्टिकता पाई गई है। विश्वविद्यालय ने हाल ही मोटे अनाज के तौर पर ज्वार, बाजरा, रागी, जौ, कांगनी, चीना आदि की विभिन्न किस्मों पर शोध किया है।

मोटे अनाज में आयरन व कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया गया। मोटे अनाजों में पानी की खपत बहुत कम व दूसरे रसायनों की कम जरूरत पड़ी। ये अनाज जल्दी खराब नहीं होते और लंबी अवधि तक खाने लायक रहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार स्वास्थ्य की दृष्टि से मोटा अनाज अधिक पौष्टिक होता है और व्यक्ति को निरोगी बनाता है।

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम) अधिनियम, 2020 का ड्राफ्ट प्रस्तुत

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा हाल ही में ड्राफ्ट (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, बिजली लोकपाल, और उपभोक्ता अधिवक्ता) अधिनियम, 2020 को जनता के समक्ष उनके सुझाव लेने के लिए प्रस्तुत किया है। ये ड्राफ्ट अधिनियम विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 और अन्य सक्षम प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है। इस अधिनियम के तहत विद्युत वितरण कंपनियों को आंतरिक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन करना है। यह उपभोक्ता को उसकी शिकायत के निवारण के लिए संपर्क करने वाला पहला प्राधिकरण बन जाएगा।

इसके अलावा जोनल स्तर पर उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम का भी गठन होगा। ध्यान देने की बात है कि यह अधिनियम शिकायतों के त्वरित पंजीकरण और बाद में निपटान की सुविधा के लिए, विद्युत वितरण कंपनियों को शिकायतों के पंजीकरण के लिए अपने वेब पोर्टल पर एक लिंक प्रदान करना और शिकायतों की एक ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रणाली को स्थापित करने का प्रस्ताव करता है। कुछ महत्वपूर्ण सुझावों में नए ड्राफ्ट के तहत उपभोक्ता अधिवक्ता प्रकोष्ठ की स्थापना का भी प्रस्ताव किया गया है। यह शिकायतकर्ताओं को आवश्यक कानूनी सलाह और सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम प्रतीत होता है। इन सभी नियमों पर उपभोक्ता संगठन अपनी टिप्पणियां विद्युत वितरण निगम को दे सकते हैं।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर